Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अजमेर में वृत्ताधिकारी वृत्त दरगाह का रीडर व वकील सहित दो व्यक्ति 60 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, *7 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अजमेर इकाई द्वारा दिनांक 6 फरवरी की रात्रि को कार्यवाही करते हुये वृत्ताधिकारी, वृत्त दरगाह के रीडर भागचन्द रावत हैड कानि0 1837 मय मनीष शर्मा, एडवोकेट (प्राईवेट व्यक्ति) व कुशाल सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के 60 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके एवं उसके परिवार वालों के विरूद्ध पुलिस थाना गंज जिला अजमेर में दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने की एवज में अपने व अनुसंधान अधिकारी के नाम से आरोपीगण भागचन्द रावत रीडर हैड कानि0 एवं मनीष शर्मा वकील द्वारा 3 लाख रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर इकाई के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के निर्देशन में **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह द्वारा** शिकायत का सत्यापन किया जाकर कल रात्रि को मय **उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रभुलाल कुमावत** एवं पुलिस निरीक्षक श्री संग्राम सिंह व टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1–**भागचन्द रावत हैड कानि0** नं0 1837 रीडर वृत्ताधिकारी, वृत्त दरगाह, अजमेर, 2–**मनीष शर्मा** पुत्र श्री सांवर लाल शर्मा, गांव खापरी वाया नसीराबाद जिला अजमेर हाल निवासी हटूण्डी रोड माखुपुरा अजमेर पेशा वकालात व 3–**कुशाल सिंह राव** पुत्र श्री भंवर सिंह राव निवासी मकान नं0 525 अर्जुन लाल सेठी नगर, आदर्श नगर अजमेर को परिवादी से **60 हजार रूपये रिश्वत राशि** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की *टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064 *एवं **Whatsapp** हैल्पलाईन नं.* 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।